



व, नए विचार और नए
भारत।

अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री



मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के औद्योगिक क्षेत्र को गति देने के लिए संकल्पित।

डा. महेंद्र नाथ पांडेय, केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली। मंगलवार • 16 नवम्बर • 2021

नैसर्ग एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) की आस्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सूचना

दिनांक 13.11.2021 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री नोटिस के संबंध में सुद्विपत्र। जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को इस प्रकार पढ़ा जाए:

लॉट नं.	जमा धरोहर राशि
2	रु. 12.00 लाख
3	रु. 30.00 लाख

के स्थान पर

लॉट नं.	जमा धरोहर राशि
2	रु. 11.30 लाख
3	रु. 29.30 लाख

अन्य सभी विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।
ज्ञान चंद नारंग
परिसमापक: एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लि.
दिनांक: 15-11-2021 (परिसमापन में)

शुद्ध के घर पर भोजन ग्रहण निगम कर्मचारी राजे दरोगा जाया कि कांग्रेस सरकार के घेतन की समस्या नहीं हुई, लए सफाई कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ता है। भ्रमण के दौरान लोगों ने नार की देन है कि इलाके में सुविधा मिली, लेकिन न इस सुविधा से लोगों को प्रवास के दौरान वाल्मीकि गैरान मंदिरों के बाहर लगे म की लगी शिलापट्ट के पूछा तो लोगों ने बताया कि कांग्रेस के नेताओं और था।

तरह दिया जाए लाभ नई दिल्ली (एसएनबी)। सिविल सेवा की परीक्षा में दिव्यांगों को भी अनुसूचित जाति/जनजाति की तरह असीमित बार परीक्षा देने एवं परीक्षा में शामिल होने की उम्र 42 साल से बढ़ाकर 47 साल करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा भारत के महालेखाकर सहित संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। साथ ही सुनवाई 15 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।

1. मनुष्योपयोगी सुविधाएँ एवं सहायता से अन्य पृ-उत्पन्न व परकन (अन्य प्रकार)	15	20.11.2021	11.00 बजे	3.30 बजे
2. कुपि से अन्य पृ-उत्पन्न में परिवर्तन संबंधी प्रकल्प	59	22.11.2021	11.00 बजे	3.30 बजे
3. अन्नकूट एवं परिवहन से अन्य पृ-उत्पन्न में परिवर्तन संबंधी प्रकल्प	05	22.11.2021	11.00 बजे	3.30 बजे
4. ऋक, खुले क्षेत्र एवं हस्त प्रकल्प से अन्य पृ-उत्पन्न में परिवर्तन संबंधी प्रकल्प	189	25.11.2021	11.00 बजे	क्रमांक 01 से 60 तक क्रमांक 61-120 तक क्रमांक 121-189 तक
5. विविध अन्य पृ-उत्पन्न परिवर्तन संबंधी प्रकल्प	18	29.11.2021	11.00 बजे	---

उपरोक्तानुसार अन्य जानकारी/सुझावों के अनुसार निर्धारित दिनांक में कार्यालय के सहायक सचिव/सचिव के रूप में सूचनाएं देने का कष्ट करें।
आपत्तियों के विवरण एवं सूची प्रतिक्रिया के विवरण पर www.mdamcoradabad.org पर देखें कि सहायक हैं।

उपस्थान
पु. वि. अ. उपस्थान

दि किशान सहकारी वॉली मिल्स लिफ्ट, स

जीएसटी - 08AAAAT0577E1ZJ
Email-ksomatha@gmail.com

अल्पसंख्यकीय निविदा सूचना

क्र. सं.	विवरण
1.	निविदा पत्रों को दिवस 8 महीना का कार्य
2.	कामगारों के वेतन वॉली का कार्य
3.	कामगारों के वेतन वॉली का कार्य
4.	कामगारों के वेतन वॉली का कार्य
5.	कामगारों के वेतन वॉली का कार्य
6.	कामगारों के वेतन वॉली का कार्य
7.	कामगारों के वेतन वॉली का कार्य

निविदा पत्र किती भी कार्य दिवस में निविदा में 200-200 (दो दो हजार) तक का कार्य कर सकते हैं। समस्त कार्यवाही को प्रदर्शन करवाती अलग-अलग जानें की विधि प्रकल्प से सुविधा की जानकारी। अधीनस्थों को एक जगह समस्त निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ना नेता के बयान पर हुका वैश्य समाज

अग्रवाल वैश्य अभद्र टिप्पणी बर्दास्त नहीं करेगा। वैश्य समाज को लेकर इस तरह की टिप्पणी नेताओं की ओर से मानसिकता को दर्शाती है। इस तरह की टिप्पणी पूरे समाज का अपमान है। नेता समाज को कमजोर समझने की गलती न करें। भाजपा ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करे

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

फ़ोनोक्ल कार्यालय : 27-वीकेसी सी-27 जी ब्लॉक, सान्दा कुर्ना कॉम्प्लेक्स, सान्दा (ईस्ट), मुंबई-4000

कार्यालय कार्यालय : 7वां तल, जवाहरनगर (विश्वाम्), 14 के.जी. मार्ग, कर्जदार, सान्दा, दिल्ली-110001

नांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन सूचना

एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों को सूचना दी जाती है, जिनके द्वारा कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (कोटकबीएल) के 7वां तल, सान्दा (ईस्ट), मुंबई-40001 स्थित कार्यालय में आ प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन सूचनाएं प्राप्त की गई हैं तथा कोटकबीएल को प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन सूचनाएं प्राप्त की गई हैं।

कोटकबीएल के प्राधिकृत अधिकारी की हेसियत से कर्जदार/सह-कर्जदारों को गारंटियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संशोधित) एक्ट के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही आरम्भ कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों के नामों में समस्त दायित्व बकाया राशि इन सूचनाओं के अधीन कार्यवाही आरम्भ कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों के नामों में समस्त दायित्व बकाया राशि इन सूचनाओं के अधीन कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

कर्जदारों/गारंटियों एवं बकाया राशि का नाम	प्रत्यक्ष या अतिरिक्त (अथवा सम्पत्ति) का विवरण
1. नैसर्ग गर्ग सन्स (कर्जदार) द्वारा हस्ताक्षर प्राप्त, युनिट नंबर 5, अपर ग्राउंड फ्लोर, सियर कॉम्प्लेक्स, सुरसदन के सामने, एम.जी. रोड, आगरा- 282001.	निम्न पत्तों पर सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड - 1. कॉन्निशियल युनिट नंबर 5, अपर ग्राउंड फ्लोर, सियर कॉम्प्लेक्स नंबर 2/218, बायो स्वदेशी बीमा नगर, हरिपर्वत वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश, परिसमाप 02.11.2019। 2. एम.जी. रोड, श्रीमती निशा गर्ग द्वारा स्वाधिकृत।
2. श्री प्रवल गर्ग (गारंटि एवं बकाया राशि) कॉन्निशियल युनिट, द्वितीय तल, सियर कॉम्प्लेक्स (सम्पत्ति सं. 2/218/2 ए), स्वदेशी बीमा नगर, हरि पर्वत वार्ड, एम.जी. रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282002.	चौहदवी : उत्तर : युनिट नंबर 1, पुरव : फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : युनिट नंबर 5 ए, पश्चिम : युनिट नंबर 6
3. श्री प्रवीण गर्ग (गारंटि) कॉन्निशियल युनिट नंबर 5 एवं 5 ए, अपर ग्राउंड फ्लोर, स्युनिसिपल नंबर 2/218, सार कॉम्प्लेक्स, स्वदेशी बीमा नगर, सुरसदन	2. कॉन्निशियल युनिट नंबर 5 ए, अपर ग्राउंड फ्लोर